

R.R. No: 184

Date

16/5/11

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(अधीक्षण अभियन्ता वाणिज्य)

क्रमांक जेपीडी/अअ(वा.)/सी-1/एफ4(236)पार्ट-11/प्रे. 525

दिनांक 12.5.2011

आदेश

JVVNL (IT)
22
17/5

विषय: ओला वृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काशतकारों के बिलिंग माह दिसम्बर-2010, जनवरी- 2011, फरवरी- 2011 एवं मार्च- 2011 के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत।

राज्य सरकार ने इस वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु दिनांक 17.3.2011 को निम्न राहत पैकेज घोषित किया है।

- (1) लघु एवं सीमान्त कृषकों को जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह दिसम्बर-2010, जनवरी- 2011, फरवरी- 2011 एवं मार्च- 2011 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।
- (2) यह राहत पैकेज सम्बन्धित तहसीलदार ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर (सहायता) से संपर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काशतकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा बिलिंग माह दिसम्बर-2010, जनवरी- 2011, फरवरी- 2011 एवं मार्च- 2011 के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (ATR) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (ATR) इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश जयपुर डिस्कॉम के निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते हैं।

आज्ञा से

(के. के. पुरोहित)

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

Copy submitted/ forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director (Finance), JVVNL, Jaipur (with 45 spare copies).
2. The Director (Technical), JVVNL, Jaipur.
3. The Chief Engineer (O&M)/(Comml.). JVVNL, Jaipur.
4. The Dy. Chief Engineer (MM)/(M&P &CRP), JVVNL, Jaipur.
5. The Addl. Supdt. of Police (Vigl.), JVVNL, Jaipur. (with 30 spare copies)
6. The Chief Personnel Officer, JVVNL, Jaipur.
7. The Chief Accounts Officer, JVVNL, Jaipur.
8. The Dy. Chief Engineer / Supdtg. Engineer (Power), RIICO, Jaipur.
9. The Supdtg. Engineer (), JVVNL, _____.
10. The Secretary, JVVNL, Jaipur.
11. The Sr. AO/AO/AAO (), JVVNL, Jaipur.
12. The Executive Engineer (), JVVNL, _____.
13. The Executive Engineer (), JVVNL, _____, alongwith 10 spare copies for sending the same upto AENS/JENS/AROs/Accountants level under his jurisdiction.
14. The Executive Engineer (Elect.), J.D.A./R.H.B/RIICO/ Nagar Nigam, Jaipur.
15. The Company Secretary, JVVNL/RRVPL, Jaipur.
16. The TA/PA to CMD, RVPN / JVVNL, Jaipur
17. PA to MD, Jodhpur/Ajmer Discom, Jodhpur/Ajmer.
18. P.S. to Hon'ble Energy Minister, Rajasthan, Jaipur.
19. P.S. to Secretary (Energy), Govt. of Rajasthan, Jaipur.
20. The Public Relations Officer, JVVNL, Jaipur.
21. Sr. Accounts Officer (FP-5), A.G. Audit, Shed No.14/1 Jaipur.
22. Sr. Accounts Officer (CAW-III), A.G. Audit, Shed No.4/1, Jaipur.
23. The Asstt. Engineer (), JVVNL, _____.
24. The Electricity Ombudsman, Vidyt Viniyamak Ayog Bhawan, Sahkar Marg, Jaipur.
- 25. The Supdtg. Engineer (IT), Jaipur Discom, Jaipur for putting up the order on the website of Discom.

26. _____

XENCIT


Superintending Engineer (Comml.)